<u>कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्यप्रदेश</u>

<u>ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर</u>

क्रमाक:प्रशा.13/का.आ/ 35 दिनांक:-9/7/26

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन मे यह सूचित किया जाता है कि Travelling Allowance (TA) एवं Medical Reimbursement से सम्बधित समस्त दावे दिनांक 03.07.2026 से CAG HRMS Portal के माध्यम से प्रस्तुत एवं संसाधित किए जाएंगें ।

इस सम्बध मे निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए-

1. Travelling Allowance (TA), Medical Reimbursement, Children Education Allowance, Telephone allowances, Newspaper एवं Contingent claims से सम्बधित दावे आवश्यक अभिलेखो सहित CAG HRMS Portal के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएँ। अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज स्पष्ट, पठनीय एवं पूर्ण होने चाहिए ।
2. CAG HRMS Portal पर प्रस्तुत प्रत्येक दावा निर्धारित Workflow के अनुसार परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु संसाधित किया जाएगा। यदि किसी प्रकरण मे अतिरिक्त अभिलेख अथवा स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा, तो सम्बधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसे यथाशीध्र उपलब्ध कराया जाएगा ।
3. सभी अधिकारी/कर्मचारी मूल सहायक अभिलेख (यात्रा बिल, होटल बिल,चिकित्सकीय पर्ची, औषधि बिल, अस्पताल सम्बधी बिल एवं अन्य) कार्यालय मे प्रस्तुत करेगें/कार्यालय अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करेगें ।
4. सभी समूह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त निर्देशों का पूर्णत: पालन करे तथा Travelling Allowance (TA), Medical Reimbursement Children Education Allowance, Telephone allowances, Newspaper एवं Contingent claims से सम्बधित दावे CAG HRMS Portal के माध्यम से ही प्रस्तुत करे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(उप-महालेखाकार/प्रशासन के अनुमोदन के पश्चात जारी)

हस्ता-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रशासन-13

क्र.प्रशा.13/का.आ.   /एस.टी.आर./   **दिनांक:-**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. उप महालेखाकार /ए.एम.जी-1, 2, 3, 4, 5 एवं प्रशासन।
3. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर को सूचनार्थ प्रेषित। दिनांक:- 03.07.2026 से पूर्व के देयक पूर्व की तरह ही पारित किये जाएंगे।
4. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 11,12,14, CC, Legal Cell, IS Wing, Hindi Cell, General Section, Executive Branch, Estate Management Section, FAAS(M), FAAP, Welfare Section, Report (PAC), Report Civil, ITA, PA AMG- I (HQ), AMG- II (HQ), AMG- III (HQ), AMG- IV (HQ), AMG- V (HQ).
5. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/आई.एस.विंग को इंट्रानेट, इंटरनेट एवं कार्यालीन वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
6. श्री महेश कुमार अलोरिया, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 को इंट्रानेट/इंटरनेट संबंधी कार्य हेतु।
7. सूचना पटल।

9/7/26

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रशासन-13